सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0(शिक्षा) / A4-180 / 2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 02 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2022**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं०–2220 व 2221, दिनांक 24–01–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भीमताल, नैनीताल	बी0टैक0:– 1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग 2. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	60 60	2021–22
	एम0सी0ए0	18	

(1) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) मानकानुसार प्रयोगशाला के मानक अपूर्ण हैं, प्राभूति राशि भी अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा छात्र / छात्राओं में व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने तथा व्यावसायिक शिक्षा में उनके कौशल विकास में वृद्धि एवं उसमें सुधार लाने के लिए क्या–क्या ठोस कदम उठाए गये हैं, इसकी सूचना तथा संस्थानों द्वारा छात्र / छात्राओं की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप / विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (Tie-up or MoU) किया गया है, तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(4) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सोसाइटी / ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक

क्रमशः..........2 / ...

पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या का परीक्षण करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(6) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, विश्वविद्यालय एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(7) शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

(8) विश्वविद्यालय, नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या–2868 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-180/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।